

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1450] No. 1450] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2018/चैत्र 23, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 2018/CHAITRA 23, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

का.आ. 1596(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन खंड) की अधिसूचना सं. का.आ. 728(अ) तारीख 18 अक्तूबर, 1996, जिसको भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग $\mathbf{\Pi}$, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 18 अक्तूबर, 1996 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :--

1. उक्त अधिसूचना की, अनुसूची में, मद 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

1	2	3	4
"V	संलग्न यान		
(i)	तीन धुरा संलग्न – भारी यात्री यान, जिसमें सामने धुरे पर दो टायर, मध्य धुरे पर चार टायर, पिछले धुरे पर चार टायर	26.4	सामने के धुरे पर 6.0 टन, मध्यम धुरे पर 10.2 टन, पिछले घुरे पर 10.2 टन

[फा.सं. आरटी-11028/02/2018-एमवीएल] अभय दामले, संयुक्त सचिव,

2178 GI/2018 (1)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II**, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 728(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् उन्हें अधिसूचना सं. का.आ. सं. 1434(अ), तारीख 18 अप्रैल, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2018

- **S.O. 1596(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport, (Transport Wing), number S.O.728(E), dated the 18th October, 1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 18th October, 1996, namely:-
 - 1. In the said notification, in the Schedule, after item IV and entries relating thereto, the following item and the entries thereto shall be inserted, namely: -

1	2	3	4
"V (i)	Articulated Vehicle Three axle articulated – Heavy Passenger Vehicle with- 2 tyres on front axle, 4 tyres on middle axle, and 4 tyres on rear axle	26.4	6.0 tonnes on front axle 10.2 tonnes on middle axle 10.2 tonnes on rear axle".

[F. No. RT-11028/02/2018-MVL] ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O 728 (E) dated the 18th October, 1996, and last amended *vide* notification number S.O.1434 (E) dated the 18th April, 2016.